

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्र.क.क्रमांक :- 868 / 2014)  
(संस्थित दिनांक :- 29 / 09 / 2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. पंचम सिंह पुत्र हरनारायण सिंह गुर्जर उम्र 47 वर्ष  
 निवासी :- ग्राम बनीपुरा, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त

/// निर्णय ///

( आज दिनांक : 08 / 02 / 2017 को घोषित )

01. अभियुक्त पंचम सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323, 506 भाग II एवं 427 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 22 / 08 / 2014 को शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम बनीपुरा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी कुँअर सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी कुँअर सिंह की डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की, फरियादी कुँअर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं फरियादी कुँअर सिंह के तीन के उपर पड़ी ईंट पटककर फरियादी कुँअर सिंह को नुकसान कारित करने के आशय से गिराकर रिष्टि कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 22 / 08 / 2014 को शाम लगभग 04:30 बजे स्थित ग्राम बनीपुरा में आरोपी पंचम सिंह द्वारा फरियादी कुँअर सिंह से गाली-गलौच करने, उसकी लाठी से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी एवं उसकी टीनशेड की ईंटे गिराकर नुकसान कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी कुँअर सिंह द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपी पंचम सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भाग II।

एवं 427 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी पंचम सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी कुँअर सिंह, साक्षी दशरथ सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त पंचम सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग II एवं 427 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना, उसके द्वारा फरियादी के विरुद्ध कोई अपराध कारित ना किया जाना व्यक्त किया है। प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी पंचम सिंह प्रति.सा.01 एवं मोहकम सिंह प्रति. सा.02 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी पंचम सिंह ने दिनांक :- 22/08/2014 को शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम बनीपुरा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी कुँअर सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी कुँअर सिंह की डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी कुँअर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी कुँअर सिंह के टीन के उपर पड़ी ईंट पटककर फरियादी कुँअर सिंह को नुकसान कारित करने के आशय से गिराकर रिष्टि कारित की?

05. अंतिम निष्कर्ष ?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 04**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दु के संबंध में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी पंचम सिंह को जानता है। घटना दिनांक : 22/08/2014 के शाम साढ़े चार बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी टीन-शैड के उपर चढ़ी ईंटें आरोपी पंचम सिंह ने पटककर उसका नुकसान किया। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो वह उसे मादरचोद-बहनचोद की गालियाँ देने लगा एवं आरोपी ने उसके एक डण्डा मारा जो उसके बाये हाथ में लगा, उसके बाद आरोपी बोला कि तुझे जान से खत्म कर दूंगा। साक्षी आगे कहता है कि घटना में दशरथ सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह ने उसका बीच-बचाव कराया। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसके टीन-शैड पर 200 ईंटे चढ़ी हुई थी, जिनमें से पाँच-पचास ईंटे आरोपी ने पटक दी थी। उसने उक्त बात पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.02 में लिखा दी थी, अगर ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी पंचम ने उक्त ईंटे सब्बल से खोदकर निकाल दी थी। उल्लेखनीय है कि आरोपी ने कितनी ईंटे पटकी थी या उक्त ईंटे उसने सब्बल से खोदकर निकाल दी थी, इसका कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में उल्लेखित नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसे कितना नुकसान हुआ था, इस वावत् पुलिस ने उससे नहीं पूछा था और इसलिए उसने नहीं बताया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कुँअर सिंह अ.सा.02 का कहना है कि घटना के दूसरे दिन 23 तारीख को पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसका बयान लिया था। पुलिस ने उससे बयान लेते समय यह नहीं

पूछा था कि आरोपी ने उसकी कितनी ईंटे फोड़ी और उसे कितने रुपये का नुकसान कारित किया, इसलिए उसने यह बात पुलिस को नहीं बताई थी। प्रकरण के विवेचक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर कोई नुकसानी पंचनामा आदि बनाया था, अथवा नहीं। बल्कि वीरेन्द्र अ.सा.06 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कहना है कि फरियादी कुँअर अ.सा.02 के मकान के छत की कुछ ईंटे टूटी पड़ी थी। निश्चय ही कुछ ईंटों का आशय पचास से लेकर दो सौ ईंटे नहीं होती है।

10. सुरेन्द्र सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि आरोपी पंचम ने फरियादी कुँअर सिंह की दस-बीस ईंटे तोड़ी थी। जबकि दशरथ अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि आरोपी पंचम ने फरियादी कुँअर सिंह की चालीस-पचास ईंटे तोड़ी थी। इस प्रकार फरियादी कुँअर सिंह की आरोपी द्वारा कितनी ईंटे तोड़ी गई थी, इस वावत् फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02, साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.03, दशरथ अ.सा.04 एवं विवेचक वीरेन्द्र अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुरेन्द्र अ.सा.03 का कहना है कि घटना के दूसरे दिन पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसका बयान लिया था, जिसमें उसने पुलिस को यह लिखा दिया था कि ईंटे टूटने से 04 हजार से 06 हजार का नुकसान हुआ था, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि सुरेन्द्र अ.सा.03 के पुलिस कथन में ईंटे टूटने से 04-06 हजार के नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस वावत् अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभास पूर्ण एवं संदेहास्पद है कि आरोपी पंचम द्वारा फरियादी कुँअर की कितनी ईंटें तोड़ी गई थी और उसे कितने रुपये का नुकसान कारित किया गया था।

11. आरोपी पंचम द्वारा फरियादी कुँअर सिंह की डण्डे से मारपीट किये जाने के संबंध में, उक्त मारपीट से फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 के बाये हाथ में चोट कारित होने के संबंध में, आरोपी द्वारा घटना के समय फरियादी से गाली-गलौच करने एवं उसे जाने मारने की धमकी देने के संबंध में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ.सा.03 एवं दशरथ सिंह अ.सा.04 ने भी फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का सारतः समर्थन किया है। सुरेन्द्र सिंह अ.सा.03 एवं दशरथ सिंह अ.सा.04 का न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य भी आरोपी द्वारा फरियादी कुँअर सिंह की मारपीट, उससे गाली-गलौच करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और इस प्रकार इस वावत् फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि सुरेन्द्र सिंह अ.सा.03 एवं दशरथ सिंह अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी हो रही है।

12. अभियोजन साक्षी डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 22/08/2014 को राज 09 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गोहद के आरक्षक क्रमांक 1123 दीवान सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत कुँअर सिंह पुत्र निहाल सिंह उम्र 34 वर्ष, निवासी :- बनीपुरा का परीक्षण करने पर आहत के कन्ट्र्यूजन जो कि बाई हाथ के नीचे की तरफ था, जिसका आकार 03 गुणा 02 से.मी. गुणा 01 से.मी. का था, उक्त चोट के एक्स-रे की सलाह दी थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई उक्त चोटें किसी कठोर एवं भौथरी वस्तु से उसके परीक्षण के 0 से 06 घण्टे के अन्दर आना प्रतीत होकर साधारण प्रकृति की होती थी। इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.02 का कहना है कि आहत को केवल एक ही चोट आई थी, जिसकी एक्स-रे की सलाह उसके द्वारा दी गई थी। लेकिन आहत कुँअर सिंह द्वारा उसकी चोट का एक्स-रे स्वेच्छया नहीं कराया गया और आहत ने उनकी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 पर यह टीप लगा दी थी वह एक्स-रे नहीं कराना चाहता है और उसने हस्ताक्षर भी किये थे। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। डॉ.धीरज गुप्ता के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से हो रही है। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से दिनांक : 22/08/2014 को फरियादी कुँअर सिंह के बाये हाथ में साधारण चोट कारित होने की फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

13. अभियोजन साक्षी शिवकुमार शर्मा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 22/08/2014 को पुलिस थाना गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को फरियादी कुँअर सिंह ने थाना गोहद आकर आरोपी पंचम सिंह द्वारा उसे अश्लील गालियाँ देने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने एवं उसकी टीन की ईंट तोड़कर उसे नुकसान कारित

करने की रिपोर्ट की जाने पर, उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/2014 पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् एफआईआर अग्रिम विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह को सौंप दी थी। शिवकुमार अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उनके द्वारा फरियादी के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध किये जाने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से हो रही है।

14. अभियोजन साक्षी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/08/2014 को पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद के अपराध क्रमांक 285/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 427 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने विवेचना के दौरान फरियादी कुँअर सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने फरियादी कुँअर सिंह, साक्षीगण दशरथ सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के बताए अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें उसने कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। तत्पश्चात् उसने केस डायरी विवेचना हेतु एसआई उमाकान्त शर्मा को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वीरेन्द्र अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.02 के पिता पुलिसकर्मी निहाल सिंह के प्रभाव में आकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है और झूठी विवेचना की है। इस प्रकार साक्षी वीरेन्द्र अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई प्रकरण की विवेचना के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

15. धारा 315 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोपी पंचम की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का सार यह है कि वह दिनांक : 20/08/2014 से दिनांक : 28/08/2014 तक आरोपी पंचम प्रति.सा.01 उसके मामा रामवरन के घर ग्राम सीताराम की लावन में था। इस प्रकार वह घटना दिनांक : 22/08/2014 को ग्राम बनीपुरा में नहीं था। इस वावत् आरोपी द्वारा एक पंचनामा प्र.डी.03 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि वह दिनांक : 20/08/2014 से दिनांक : 28/08/2014 तक ग्राम सीताराम का लावन में था, ना कि ग्राम बनीपुरा में। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी पंचम प्रति.सा.01 का कहना है कि उक्त पंचनामा प्र.डी.03 किसके द्वारा, किस दिनांक को

और कहाँ बनाया गया, इसका कोई उल्लेख पंचनामा प्र.डी.03 में नहीं है। इसलिए मात्र आरोपी पंचम के अभिसाक्ष्य एवं उक्त पंचनामे के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी पंचम दिनांक : 22/08/2014 को घटना के समय ग्राम बनीपुरा में नहीं था। इसी प्रकार प्रतिरक्षा साक्षी मोहकम अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो आरोपित घटना में आरोपी पंचम की संलिप्तता ना होना दर्शित करते हों।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी पंचम ने दिनांक :- 22/08/2014 को शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम बनीपुरा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी कुँअर सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी कुँअर सिंह की डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की एवं फरियादी कुँअर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। परन्तु अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी पंचम ने दिनांक :- 22/08/2014 को शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम बनीपुरा में, फरियादी कुँअर सिंह के टीन के उपर पड़ी ईट पटककर फरियादी कुँअर सिंह को नुकसान कारित करने के आशय से गिराकर रिष्टि कारित की।

### अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी पंचम के विरुद्ध धारा 294, 323 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी पंचम को धारा 294, 323 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु अभियोजन आरोपी पंचम के विरुद्ध धारा 427 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए आरोपी पंचम को धारा 427 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपी पंचम को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में गाली-गलौच कर मारपीट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना आवश्यक है, इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

19. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

20. आरोपी पंचम के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी.शर्मा को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के अधिवक्ता श्री शर्मा का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हैं। वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। यह आरोपी का प्रथम अपराध है, इसलिए आरोपी को न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये। फरियादी कुँअर सिंह को कारित एक मात्र चोट के अत्यंत साधारण होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से अंशतः सहमत है। फलतः आरोपी पंचम को धारा 323 भा.द.सं. के आरोप के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा 294 भा.द.सं. के आरोप के लिए 200/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भाग II के आरोप के लिए 300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को पृथक से 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

22. आरोपी पंचम द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 1000/- रुपये फरियादी कुँअर सिंह को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद